

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

<p>18 राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं)</p>	<p>18 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा कालिया खो जलाशय योजना के निर्माण हेतु प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा की गई अनुसंशा अनुसार वनमण्डल नीमच की 22.26 हे० वनभूमि को आवेदक विभाग को उपयोग पर देने की अनुसंशा की जाती है।</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signed by

Kshitij Kumar

Date: 31-12-2024 17:57:41

OFFICER ON SPECIAL DUTY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग